न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 17 / 2020 GCMS NO. 2020 / 00139
दायरा तिथि : 26.10.2020
आदेश तिथि : 15-7-2021

प्रार्थी :–
कृष्ण कुमार पुत्र बद्रीनारायणजी जाति मेवाडा
हाल निदेशक देवगिरी लेपर्ड हिल्स प्रा.लि.
रिको इन्डस्ट्रीयल एरिया, शिवगंज, जिला सिरोही

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत राजकीय भूमि मे से रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक : 15-7-2021

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 865 / 671 रकबा 1.77 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मे आवागमन के लिए कोई विकल्प / रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा कोठार के खसरा नंबर 670 रकबा 3.40 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मे से संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित मार्ग से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02-03-2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जरिये पत्रांक : राजस्व / 2021 / 19 दिनांक 05.01.2021 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 865 / 671 रकबा 1.77 हैक्टर किस्म बारानी सोयम भूमि देवगिरी लेपर्ड हिल्स प्रा.लि. जरिये कम्पनी निदेशक कृष्ण कुमार मेवाडा पुत्र बद्रीनारायण जाति मेवाडा निवासी सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली के नाम से खातेदारी की दर्ज है। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य विकल्प मौजूद नही है। देवगिरी लेपर्ड हिल्स प्रा.लि. की खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु सरकारी भूमि ख.न. 670 मे से भूमि प्रभावित होगी।
2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.स.	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	670	3.40हैक्टर	बारानी सोयम	24 X 4.58 = 109.92 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम कोठार की डी.एल.सी.दर 93870/– रूपये प्रति हैक्टर है।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि मे कोई भी वृक्ष या पक्का निर्माण इत्यादि नही है। अतः अन्य कोई भी क्षति नही होगी तथा प्रस्तावित रास्ते रास्ते के क्षैत्रफल मे से अन्य क्षति यथा वृक्ष, पक्का निर्माण कार्य इत्यादि नही है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण मे वकील प्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेज लगातार––2

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 17/2020 GCMS NO. 2020/00139

अनवान कृष्ण कुमार बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात जाहिर हैं कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है, तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई विकल्प मौजूद नहीं हैं। अतः तहसीलदार बाली के कार्यालय पत्रांक/राजस्व/2021/19 दिनांक 05.01.2021 से प्रेषित जांच अभिशंषा/भू.अ. निरीक्षक नाना व पटवारी हल्का, कोठार की मौका जांच के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक :प.3(52)राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा कोठार के खसरा नंबर 865/671 रकबा 1.77 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में आवागमन हेतु राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा कोठार के खसरा नंबर 670 रकबा 3.40 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मे से **24 X 4.58 = 109.92** वर्गमीटर रास्ता नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

नाम ग्राम	ख.न.	कुल क्षैत्रफल (हैक्टर)	किस्म	रास्ते के लिए प्रभावित क्षैत्रफल	डीएलसी दर 93870/– रूपये प्रति हैक्टर की दर से (प्रति व.मी.)	वसूल देय प्रतिकर राशि(डीएलसी दर की दुगुनी)
कोठार	670	3.40 हैक्टर	बारानी सोयम	24 X 4.58 = 109.92 वर्गमीटर	9.88 रूपये प्रति व.मी	2173/–

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **2173/– (अक्षरे दो हजार एक सौ तिहत्तर रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राज्य कोष मे जमा कराये जावेंगे। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रैकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पत्रांक : कोर्ट/2021/ 559-564

दिनांक : 14-7-2021

प्रतिलिपि पालनार्थ :–

1. तहसीलदार बाली/नायब तहसीलदार, नाना
2. भू.अ.निरीक्षक नाना
3. पटवारी हल्का कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक कृष्ण कुमार पुत्र बद्रीनारायणजी जाति मेवाडा हाल निदेशक देवगिरी लेपर्ड हिल्स प्रा.लि. रिको इन्डस्ट्रीयल एरिया, शिवगंज, जिला सिरोही को सूचनार्थ

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner